न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 75/2002/प्रार्थना पत्र 14(4)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

मदनलाल पुत्र भवानीराम जाति महाजन निवासी कांकरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 नियम 14(4) एलआरएक्ट विरूद्व अलाटमेन्ट आदेश दिनांक 22.06.1966 बाबत खसरा नम्बर 369 ग्राम कांकरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

वकील प्रार्थी श्री बजरंगसिंह

निर्णय **दिनांकः–11.11.2019**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसील दांतारामगढ़ के ग्राम कांकरा के खसरा नम्बर 369 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा किस्म बंजड़ खारड़ा में से 8 बीघा भूमि मदनलाल पुत्र भवानीराम जाति महाजन निवासी कांकरा को कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 22.06.66 को आवंटित की गई थी। यह आवंटन नियमों के विपरीत हुआ। श्री मदनलाल पुत्र भवानीराम तत्समय भूमिहीन कृषक नहीं थे। मदनलाल के खाते में जमाबन्दी सम्वत् 2020 से 2023 के अनुसार 32 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी। इस प्रकार श्री मदनलाल का यह आवंटन नियमों के विपरीत हुआ है जो निरस्त होने योग्य है। मदनलाल के मामले का परीक्षण माननीय बेरी आयोग द्वारा किया जाकर आवंटन निरस्त करने की हिदायत की है। अतः आवेदन 14(4) स्वीकार किया जाकर श्री मदनलाल पुत्र भवानीराम जाति महाजन निवासी कांकरा को दिनांक 22.06.66 को आवंटित की गई भूमि के सम्बंध में पारित आदेश को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 198 के मुताबिक 369 की खातेदारी सिवायचक बिला लगानी सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड अंकित थी, जिसको तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.06.70 एवं दिनांक 22.06.66 आजाद कमेटी द्वारा पारित आदेश की पालना में मदनलाल पुत्र भवानीराम जाति महाजन नि.देह गेर खातेदार के नाम 8 बीघा भूमि का नामान्तकरण दर्ज दिया। उसके पश्चात् नामान्तकरण संख्या 382 के द्वारा मदनलाल गैर खातेदार से खातेदारी का नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2020–2023 के मुताबिक ग्राम कांकरा की भूमि आराजी खसरा नम्बर 412 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 422 रकबा 25 बीघा 9 बिस्वा की खातेदारी मदनलाल पुत्र भवानीराम जाति महाजन नि.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2020–2023 के मुताबिक अप्रार्थी मदनलाल पुत्र भवानीराम के नाम खातेदारी की भूमि दर्ज रिकॉर्ड होने के उपरांत आजाद कमेटी द्वारा दिनांक 22.06.66 को अप्रार्थी मदनलाल के पक्ष में आवंटित की भूमि नियम विरूद्व आवंटन की गई है। आवंटन नियमों के मुताबिक भूमिहीन व्यक्ति को ही भूमि आवंटित की जा सकती है। विवादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में पत्रावली पर उपलब्ध बेरी कमिशन जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पी–127 / 1979 में पारित आदेश के द्वारा अप्रार्थी मदनलाल के पक्ष में आवंटित की गई भूमि की खातेदारी को निरस्त किया जा चुका है। अतः अप्रार्थी मदनलाल के नाम खातेदारी की भूमि दर्ज रिकार्ड होने व बेरी कमिशन जयपुर द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टा अप्रार्थी मदनलाल के भूमि खसरा नम्बर 369 में से 8 बीघा बाबत पारित आवंटन आदेश दिनांक 22.06.66 को बहाल रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम कांकरा तहसील दांतारामगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 369 रकबा 22 बीघा 11 बिस्वा में से 8 बीघा भूमि बाबत दिनांक 22.06.66 को अप्रार्थी मदनलाल को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/11/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2019.11.13 17:15:07 IST
Reason: SelfAttested
Location: